

BENCH No. - 13

अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर।

मिस केस संख्या- 407/2020

धारा-107 दं०प्र०सं०

शांति सुंदा
रुं अन्व - 2

-वनाम-

श्रीदिन सिंह मूलज उर्फ मापी
रुं अन्व - 1

आदेश

14/5/22

अभिलेख आज राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थापित किया गया है।

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है, कि प्रस्तुत वाद में दोनों/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त/अप्राप्त है। इस वाद की कार्यवाही आरंभ होने के उपरान्त छह महीने से अधिक समय बीत चुका है। धारा-107 दं०प्र०सं० की कार्रवाई की वैधानिक अवधि मात्र छह माह का होता है। पुनः थाना अथवा अन्य किसी श्रोत से शांति भंग होने की आशंका की कोई सूचना/प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः विचारोपरन्त वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। यदि पक्षकार के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत है, तो उसे वापस लिया जाता है।

Member
14/5/22

Member
14/5/2022